12

419
21.9.15

प्रति,
श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म०प्र०

R.5065-पीबीआर/15

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2015

1- नत्थू उर्फ नत्थूलाल यादव तनय श्री विशाली यादव उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम करेह, थाना बदेरा, तहसील मैहर, जिला सतना म०प्र०

2- रामकृपाल यादव पिता श्री बालकिशन यादव उम्र 48 साल निवासी ग्राम करेह थाना बदेरा, तह० मैहर, जिला सतना म०प्र०

-------- निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

औसेरिया यादव तनय स्व०दशरथ प्रसाद यादव उम्र 70 साल पेशा कुछ नहीं निवासी सारंग, थाना बदेरा, तहसील मैहर, जिला सतना म०प्र० ------- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959 विरुद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय मदनपुर के प्रकरण क्र० 49/12 /2014-15में पारित आदेश दिनांक 21-5-15 के विरुद्ध

श्री. रामाकृष्ण शुक्ला एड के द्वारा आज दिनांक. 21-9-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

अनावेदक द्वारा एक सीमांकन का आवेदनपत्र अधीनस्थ नायब तहसीलदार महोदय सर्किल मदनपुर के राजस्व निरीक्षक महोदय के समक्ष अपनी भूमियों के सीमांकन हेतु आवेदनपत्र

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5065/II/15 जिला सतना

नत्थूलाल औसेरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-11-15	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री रामाश्रय शुक्ला उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्क में बताया गया कि अनावेदक गण द्वारा एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार के समक्ष तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त- समनापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें भूमि सर्वे क्रमांक 214/1, 133/7, 273/7क के सीमांकन का निवेदन किया गया, जिसके आधार पर किये गये सीमांकन में आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य के सर्वे क्र० 214/1 को भी अनावेदक के हित में नाप दिया गया। यह भी कहा गया कि उक्त सीमांकन के संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही सुनवाई का अवसर ही दिया गया। यह भी बताया गया कि आवेदक को उक्त सीमांकन की जानकारी तब हुई जब संहिता की धारा 250 के तहत मुझे अपने स्वामित्व की भूमि क्रमांक 214/1 से बेदखल करने का नोटिस दिया गया। तत्पश्चात आवेदक द्वारा सीमांकन कार्यवाही की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर निगरानी प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो निग० मेमो में अंकित है जिन्हें यहां दुहराया न जाकर विचार में लिया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया।	
	अवलोकन से पाया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक 21-5-15 से पटवारी की ओर से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 5-6-15 के आधार पर यह अंकित करते हुए कि किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई तथा सर्वे क्रमांक 214/1 पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि की गई। इस पुष्टि आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि करने से पहले किसी भी हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। जबकि नियमानुसार इस सीमांकन से प्रभावित पक्षकारों को व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी कर उन्हें सुनवाई का एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुए सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि करना चाहिए थी जो परिलक्षित नहीं हुई है।	
	पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 5-6-15 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवेदित आराजीयात का सीमांकन करने हेतु किसी स्थाई बन्दोबस्ती सीमा चिन्ह का उल्लेख नहीं है जिसे आधार मानकर सीमांकन किया गया है।	
	स्थल पंचनामा दिनांक 15-6-15 का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचनामा पर आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं है और न ही उनके संबंध में पंचनामा में कोई टीप ही अंकित है।	
	सूचना पत्र दिनांक 15-6-15 का अवलोकन करने पर पाया गया कि सूचना पत्र में आवेदक गण का नाम आवेदक क्र. 1 का है जिसके नाम के सामने हस्ताक्षर करने से इंकार अंकित है। आवेदक क्रमांक 2 का नाम अंकित नहीं है।	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5865/II/15 .... जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	नत्थूलाल कार्यवाही तथा आदेश ओमेरिया	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यह उपरोक्त अभिलेख के अवलोकन से विशेष गौर करने लायक तथ्य यह है कि इश्तहार 15-6-15 का तथा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 5-6-15 में भेजा जाना उल्लेखित है① इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि सूचना पत्र में अंकित व्यक्तियों को सूचना पत्र दिनांक 15-6-15 को जारी किया गया तथा सीमांकन कार्यवाही भी दिनांक 15-6-15 को ही किए जाने का सूचना पत्र में उल्लेख है। जो संदेहास्पद है एवं यह कार्यवाही प्रथम दृष्टया ही अवैध एवं अनुचित तथा विधि के विपरीत परिलक्षित हो रही है। जो किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रकरण में आक्षेपित सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 21-5-15 सहित सम्पूर्ण सीमांकन कार्यवाही अपास्त की जाती है, तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदित भूमियों का सीमांकन समस्त सरहद्दी एवं हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में पटवारी अभिलेख के आधार पर उनको विधिवत सूचना पत्र जारी कर स्थाई बन्दोबस्त सीमा चिन्ह निर्धारित कर स्थाई सीमा चिन्ह से सीमांकन प्रारम्भ कर सीमांकन कार्यवाही करें तथा सीमांकन कार्यवाही को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले समस्त हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष समर्थन का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान करते हुए सीमांकन कार्यवाही को अंतिम रूप प्रदान कर आदेश पारित करें।	① किन्तु रा.नि. द्वारा इस प्रतिवेदन के आधार पर सीमांकन प्रमाणित करने का आदेश 21.5.15 की दिनांक पर किया गया है।

[कृ. प. उ.

R. 5056/II/15 सतना

स्थान तथा दिनांक	नत्थूलाल वि. [illegible] कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उक्त निर्देश के साथ आवेदकगण एवं अनावेदक को भी आदेशित किया जाता है कि वे इस आदेश की संसूचना के 30 दिवस के अंदर संबंधित तह० के समक्ष उपस्थित होकर उक्त आवेदित एवं विवादित सीमांकन कार्यवाही में सहयोग करें। तहसीलदार सम्पूर्ण सीमांकन कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र० वा० रि० हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	